वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट्स

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भारत सरकार

हमें फॉलो करें

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया, जो उन्हें रियायती वित्त प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2014–15 में यह फंड लॉन्च किया गया था। योजना के दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

1. पात्रता मापदंड

विनिर्माण, सेवाओं और संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाएं / इकाइयां, जिसमें प्रौद्योगिकी कारोबार इन्क्यूबेटरों में शुरू की जा रही स्टार्ट–अप और इकाइयां शामिल हैं, सुनिश्चित परिसंपत्ति निर्माण हेतु स्थापित की रही परियोजनाओं और स्टार्ट अप्स पर विचार किया जायेगा ।

- **50 लाख रुपये तक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए** – कंपनियां जिनकी कम से कम 51% स्टेक होल्डिंग्स पिछले 6 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ शेड्यूल कास्ट्स उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, मजबूत व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 6 माह से अधिक के लिये प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ शेड्यूल कास्ट्स प्रमोटर्स की कम से कम 51% शेयरधारिता है।

- **50 लाख रुपये से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए** – कंपनियां, जिनकी कम से कम 51% स्टेक होल्डिंग्स पिछले 12 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ शेड्यूल कास्ट्स उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, मजबूत व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 12 माह से अधिक के लिये प्रचालन में बनी हुई है. और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ शेड्यूल कास्ट्स प्रमोटर्स की कम से कम 51% शेयरधारिता है .

- **प्रौद्योगिकी उन्मुख नवाचारी परियोजनाओं के लिए:**

  क. संतोषजनक प्रगति के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये औसतन प्रति वर्ष की सीमा तक के अध्यधीन संचालन और अनुरक्षण की लागत को पूरा करने के लिए इनक्यूबेशन वित्तपोषण हेतु टैक्नॉल्जी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चुने गए नवाचारी कार्यक्षेत्र।

  ख. प्रथम बारगी अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% शेयर होल्डिंग वाली नई कंपनियां जो प्रौद्योगिकी उन्मुख नवाचारी परियोजनाओं में कार्य करती रही हैं:

  i. आईआईटी, एनआईटी, प्रीमियर बिजनेस स्कूलों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के तहत एनएसटीईडीबी से समर्थित अथवा कॉर्पोरेट द्वारा समर्थित, परियोजनाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की अच्छी संभावना हो और जो परियोजना क्रियान्वयन अवस्था में हो; और/अथवा;

  ii. इनक्यूबेशन सेंटरों की सहायता से रहित किंतु वाणिज्यरकरण की अच्छा संभावना सहित पेटेंट/कॉपीराइट से युक्त और परियोजना जो क्रियान्वयन अवस्था में हो।

  iii. विधिवत मूल्यांकन के पश्चात भारत सरकार के विभागों द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं।

- प्रस्ताव जमा करते समय उद्यमी द्वारा अनुसूचित जाति का होने के दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

- प्रस्ताव जमा करते समय इनक्यूबेशन सेंटरों/कॉर्पोरेटों से दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाणपत्र अथवा अनुसूचित जाति के उद्यमी के नाम पर पेटेंट/कॉपीराइट संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

- भारत सरकार के विभाग का संस्वीकृति पत्र।

- ई–दस्तावेज भी स्वीकार्य होगा।

- 5 करोड़ से अधिक की संस्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए ट्रस्ट/फंड मैनेजर द्वारा निर्मुक्त राशि भारत सरकार के विभाग/बैंक द्वारा निर्मुक्त ऋण की किस्त के अनुपात में होगी, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें उपर्युक्त बिंदु क में यथाउल्लिखित टैक्नॉल्जी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) द्वारा चुने गए नवाचारी कार्यक्षेत्र वर्ग के तहत सहायता प्राप्त हों।

क्रम संख्या	संकेतक	संशोधित
1.	**निवेश का आकार**	रु 10 लाख से रु 15 करोड़ रु। सकल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य से दो गुना से अधिक नहीं है।
2.	**वित्तीय सहायता का कार्यकाल**	डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 साल तक। इक्विटी के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय केस–टू–केस के आधार पर अधिकतम कार्यकाल 10 साल तक लिया जाएगा।
3.	**मूलधन पर अधिस्थगन**	डिबेंचर के मामले में, मामले के आधार पर लेकिन निवेश की तारीख से 36 महीने से अधिक नहीं। निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर कंपनी में निवेश की तारीख से ब्याज भुगतान शुरू होगा।
4.	**वित्तीय सहायता की प्रकृति**	क. शेयर (CCPS) (कॉर्पस का अधिकतम 25%) निम्नलिखित के अधीन निवेश किया जा सकता है: i. इस तरह के निवेश पात्रता मानदंड के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली नवीन प्रौद्योगिकी–उन्मुख परियोजनाओं / स्टार्ट–अप तक सीमित हो सकते हैं। ii. किसी कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49% हो सकता है, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये के निवेश के अधीन है। iii. इस तरह के निवेश हर कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर लागू होंगे। iv. फंड के तहत हर निवेश में, न्यूनतम 25% निवेश डिबेंचर के रूप में होगा। ख. अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), आदि। उन सभी कंपनियों के लिए उपकरणों पर विचार किया जाएगा जो ऊपर ए श्रेणी में नहीं आते हैं।
5.	**फंडिंग पैटर्न**	फंड के तहत निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: **1.** रु 5 करोड़ तक की वित्तीय सहायता – इस श्रेणी के तहत निवेश को परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्त पोषित किया जाएगा और परियोजना लागत की शेष राशि का 25% प्रवर्तकों द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार सब्सिडी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। **2.** वित्तीय सहायता रु 5 करोड़ – इस श्रेणी के तहत निवेश परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक किया जाएगा। परियोजना लागत का कम से कम 25% केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमोटरों द्वारा या सरकारी सब्सिडी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, और परियोजना लागत के 25% को या तो प्रमोटरों द्वारा या बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, के रूप में मामला हो सकता है। ऐसे मामलों में जहां सब्सिडी सब्सिडी उपलब्ध है, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% योगदान करना होगा
6.	**निवेश के जरिये वापसी की उम्मीद**	क. इक्विटी निवेश में, बायबैक / रणनीतिक निवेश / आईपीओ के माध्यम से निकास के समय पर वापसी 8% पी.ए. या जो भी अधिक हो, मूल्यांकन के अनुसार। ख. ऋण / परिवर्तनीय साधन – 8% p.a. (महिलाओं के लिए' / विकलांग **उद्यमी – 7.75% p.a.) [* एक एससी महिला उद्यमी के स्वामित्व वाली कंपनी पर विचार करने के लिए, एससी महिला उद्यमी को कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी का मालिक होना चाहिए और उसे कंपनी का प्रबंध निदेशक होना चाहिए। **विकलांग उद्यमियों के मामले में, दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों के लिए योग्यता के रूप में जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा।]

7.	**बाहरी तंत्र**	• प्रमोटरों / कंपनियों, रणनीतिक निवेशों, स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग या किसी भी अन्य एक्स्प्रोप्रोसेस द्वारा परिचालन, बायबैक / मोचन से भुगतान के माध्यम से बाहर निकलें। बाहर निकलने की प्रक्रिया वित्तीय सहायता और प्रदर्शन कंपनी की प्रकृति के आधार पर केस टू केस आधार पर निर्धारित की जाएगी।
8.	**सुरक्षा**	निवेश के दौरान निम्नलिखित परिकल्पित प्रतिभूतियां हो सकती हैः क. योजना के तहत वित्त पोषित/ सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को सुरक्षा के लिए लिया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और लाइसेंस / पेटेंट पर अधिकार शामिल होंगे। ख. बैंकों/ बैंकों के साथ ऋण के लिए आवेदन करने के मामले में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ परिसंपत्तियों पर पैरी–पसु प्रभार। ग. निवेश से बाहर बनाई गई परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार जहां 1 प्रभार बैंक / एफआई द्वारा आयोजित । घ. प्रमोटरों द्वारा आयोजित शेयरों की प्रतिज्ञा और कम से कम 26% हिस्सेदारी बनाने और जारी किए गए और पेड अप कैपिटल के 51% तक ले जाया जाएगा। हालांकि, गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत केस टू केस आधार पर तय किया जाएगा। ड़. परिसंपत्तियों पर प्रभार के अलावा, पोस्ट–डेटेड चेक (पीडीसी) / इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) और वचन पत्र लिया जाएगा। च. बायबैक समझौते के साथ प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी। छ. परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उधारकर्ता, प्रतिभूति प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है।

निवेश प्रबंधकः

IFCI VENTURE

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.

आईएफसीआई टावर 16वां तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019

फोन नं. 011 - 4173 2518/09/67/76/70/81/90/82/07, 011 - 26453359

ईमेलः funds@ifciventure.com

वेबसाइटः www.vcfsc.in (click vcfsc)

डिसक्लेमरः यह हैंडआउट केवल सूचना के प्रयोजन से तैयार किया गया है और यह निधि के अंतर्गत प्रस्तावों की संस्वीकृति और स्वीकार्यता का कोई भाग नहीं है। आईएफसीआई उद्यम इसमें निहित सूचना की पूर्णता अथवा सटीकता नहीं दर्शाता है। इस हैंडआउट मे दी गई सूचना विशवसनीय मानी गई है और इसे नेकनीयती से बिना किसी पक्षकार के प्रति विधिक बाध्यता के प्रस्तुत किया गया है। आईएफसीआई उद्यम इस नोट में दी गई सूचना के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली किसी विधिक बाध्यता अथवा उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विचार, अनुमान और लक्ष्य परिवर्तन के अध्यधीन हैं।